फर्द अहकाम

वानुकाल्ड बनाम मुकेश कुमार व अन्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर जयपुर

संख्या 52/2018 दावा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/6/24	पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रति.सं. 8 का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC, जवाब प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण ने वाद पत्र खातेदारी की कृषि भूमि साबिक ख०न० 138, 147 (कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 279 मी. 280, 281, 283, 284 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर) वाके ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का पेश किया है जो वादी नं. 1 के पिता व वादी नं. 2 के पति के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही है। वादीगण के पूर्वज स्व० गुल्ला का वर्ष 2008 मे निधन हो गया। उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण विरासतन उक्त आराजी के खातेदार काबिज काश्त है। वादीगण की उक्त वर्णित आराजी मे से कुछ भूमि मे राजस्थान सरकार नागरिक उड्डयन विभाग (भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण) ने अवाप्त कर ली एवं कुछ भूमि जे.डी.ए. द्वारा दो सौ फीट रोड के लिए अवाप्त कर ली। वादीगण के पास वर्तमान मे खसरा नम्बर 279, 280/1, 281/2 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि ही शेष बची है। वादीगण के पास ही प्रतिवादीगण नं. 1 लगा० 5 की खातेदारी की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 135 व 136 (कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये ख०न० 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 269, 270 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर है जो वादग्रस्त आराजी है। वर्ष 1989 के सैटलमेन्ट मे प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि का रकबा बरारी के दौरान ख०न० 132, 133, 134 की भूमि मे रकबा 0.17 हैक्टेयर अधिक दर्ज किये जाने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। उक्त वाद मे प्रतिवादी सं. 8 की ओर प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC पेश किया जिसका खुलासा यह है कि ग्राम बुद्धसिंहपुरा के गत ख०न० 135, रकबा 1.11 हैक्टेयर के हाल ख०न० 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271/2, 272, 273, 274, 275 रकबा 1.04 हैक्टेयर बने है प्रतिवादी सं. 1 लगा० 5 द्वारा ख०न० [illegible] 0.21 हैक्टेयर भूमि धारा 90 क भू-राजस्व [illegible] हेतु आवेदित की गई तथा [illegible] 273, 274 (कुल किता [illegible]) 200 फीट एयरपोर्ट रोड हेतु अवाप्त की गई। अवाप्तशुदा भूमि के संदर्भ मे माननीय न्यायालय की [illegible] कार्यवाही का — लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:40 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम मुकेश

नाम न्यायालय

केस संख्या 52/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य बताया गया। वादीगण का कथन है कि वादीगण का वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा होने के कारण इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार बताते हुए सुनवाई क्षेत्राधिकार है प्रश्नगत वाद पत्र मे वादीगण के जे.डी.ए. से कोई रिलीफ नही चाही गई। प्रकरण मे न्यायालय ए.डी.जे. क्रम.सं. 13, जयपुर का स्थगन होना स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है। चूंकि वादग्रस्त आराजी न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनाऐं, जयपुर (जयपुर विकास प्राधिकरण भवन, जयपुर के क्रमांक भू अ./न वि/ 2017/डी- 1059 दिनांक 18/10/2017 को जयपुर विकास प्राधिकरण के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात एयरपोर्ट के सामने 200 फीट चौडी सडक निर्माण हेतु आवश्यक ग्राम बुद्दसिंहपुरा तहसील सांगानेर की भूमि को अवाप्ति हेतु अवार्ड जारी किया जा चुका है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भूमि का नामान्तकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। तथा 90-क शुदा भूमि का पट्टा विलेख भी प्रतिवादी संख्या 1 व 05 के नाम जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी किये गये है। वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। विवादित आराजी अवाप्ति अधिनियम के तहत अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय मे ही चुनौती दी जा सकती है एव भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध मे किसी को आपत्ति हो तो धारा 54 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय मे ही अपील करने का प्रावधान है। वादी का दावा राजस्व न्यायालय मे चलने योग्य नही है। प्रति.8 का प्रा0पत्र 07 R11 cpc स्वीकार किया जाता है। **आदेश** प्रतिवादी सं.8 का प्रार्थना पत्र 07 R11 cpc स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत आराजी ख0न0 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 269, 270 कुल रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम बुद्दसिंहपुरा तहसील सांगानेर का खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री नियमानुसार तैयार कर पेश करे। निर्णय आज 12/6/24 को खुले न्यायालय मे सरेआम सुनाया गया। 4 सत्तावनी नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

1

Reader
(हस्ताक्षर)
06/03/18

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय

सांगानेर महानगर जयपुर

वादपत्र संख्या– 52/2018

1. बाबूलाल पुत्र गुल्ला
2. भौरी देवी पत्नी गुल्ला

जाति– मीणा, निवासी– ग्राम बुद्दसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– वादीगण

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री सीताराम मीणा
2. राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री सीताराम मीणा
3. रामजीलाल
4. जगदीश
5. लक्ष्मीनारायण

समस्त पुत्रान नानगराम, जाति– मीणा, निवासी– ग्राम बुद्दसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. सब रजिस्ट्रार सांगानेर प्रथम सांगानेर जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, व्यास भवन, मोती डूंगरी रोड जयपुर।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

– बाबूलाल

नि: भौरी देवी

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:40 IST
Reason: SelfAttested